न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
309/19	04-09-2019	09/09/2020

उनवान

मनोज
विनोद पुत्रान राकेश जाति अहीर निवासीगण ग्राम हसनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
-----:: वादीगण

बनाम

. परमा
. गणेशीराम पुत्रान छीतर
. मुर्ती
. छिमली पुत्रीयान छीतर
. चिम्मनलाल पुत्र हरिसिंह
. पप्पू पुत्री हरिसिंह
. दौलतराम
3. जग्गन
3ए – उदयराम
9. मुन्नीराम
0. गजराज पुत्रान जैला
1. केला पुत्री जैना
2. गंगाराम पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासीगण ग्राम गैलपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
3. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तिजारा जिला अलवर (राज0) बहैसियत भूमिधारी अधिकारी तिजारा जिला अलवर

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 363 रकबा 0.33 है0, 365 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम गैलपुर तहसील तिजारा जिला वर है विवादित आराजी मिन वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी की आराजी विवादित आराजी में पूर्व खातेदार सतबीर ने अपना 1/60 भाग का बेचान जरिये रजि0 बयनामा वादीगण के में वाकब्जा, वाप्रतिफल प्राप्त कर कराया। वादीगण के नाम इंतकाल संख्या 639 दिनांक 25.05.2017 को दर्ज व कार होकर राजस्व जमाबन्दी में अंकन आया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 परमा ने हाल आराजी खसरा बर 363 रकबा 0.33 है का 7/30 हिस्सा में से 116/770 हिस्सा यानि 83/1650 हिस्सा यानि 1.66 ऐयर का

[illegible] कराया है। [illegible]
[illegible] में आया है।
[illegible] है। विवादित हाल खसरा नम्बर 383 रकबा 0.33 है0
[illegible] भाग व हाल आराजी खसरा नम्बर 383
[illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 की मुताबिक
[illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के मध्य आपसी सहमति से
[illegible] हुआ है। जिस अनुसार उक्त विवादित आराजी में वादीगण को
[illegible] रकबा 0.33 है0 में दिया गया है। वादीगण मे हाल
[illegible] अपने भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल है तथा चारदीवारी की हुई
[illegible] है और अन्य आराजीयात में प्राईवेट [illegible] नाम से स्कूल संचालित है
[illegible] रकबा 0.33 है0 में से वादीगण के अपने भाग की भूमि में आने
[illegible] है। वादीगण का अपने भाग की भूमि पर वास्तविक कब्जा है।
[illegible] विवादित आराजी के मुताबिक तकसीम अपने भाग की भूमि पर काबिज व
[illegible] रिकार्ड है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य
[illegible] नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण
[illegible] काबिज व दाखिल है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 को एकराय
[illegible] दिनांक 28.10.2019 को उक्त विवादित आराजी में
[illegible] को एवं जबरन नींव खोदकर निर्माण कार्य करने का
[illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से
[illegible] को डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

[illegible] तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का
[illegible] 12 तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध
[illegible] है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः
[illegible] ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

[illegible] प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को बाई नोटिस
[illegible] रिपोर्ट प्रेषित करने को आदेशित किया गया। तहसीलदार तिजारा ने
[illegible] 2020 [illegible] कुर्रे रिपोर्ट मय तजवीजशुदा नक्शा प्रेषित की प्रस्तुत
[illegible] वादी ने कुर्रे रिपोर्ट अनुसार वाद फाईनल डिक्री किये जाने में
[illegible] फाईनल डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

[illegible] विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 383 रकबा 0.33 है0.
[illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) का विभाजन निम्न सारणी अनुसार
[illegible] अमल हो।

सारणी

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
[illegible] 250/250 [illegible]	383/1	0.0250	चाही 2

[illegible] पुत्र [illegible] सिविक्लेत हैक टापूकला [illegible] /3040 [illegible] उर्फ मुनीराम [illegible] पुत्र जैला [illegible] /3040 [illegible] पुत्र व मुन्नी [illegible] पुत्रीगान छीतर [illegible] /3040 [illegible] पुत्र छीतर [illegible] /3040 [illegible] पुत्र श्रीराम [illegible] /3040 अहीर [illegible] खातेदार	[illegible]	0.3040	नाली [illegible]
[illegible] पुत्र हरिसिंह नारिय सिविक्लेत हैक टापूकला [illegible] /2500 पप्पू पुत्री हरिसिंह 83 / 2500 टीकमराम उर्फ मुनीराम [illegible] पुत्रान व कन्या पुत्री जैना 533 / 2500 उदयराम पुत्र जैला [illegible] /2500 [illegible] पुत्र व मुन्नी [illegible] पुत्रीगान छीतर [illegible] / 2500 धरम पुत्र छीतर 592 / 2500 [illegible] पुत्र श्रीराम [illegible] / 2500 अहीर साद हसनपुर खातेदार	365	0.2500	नाली 2

[illegible] सुदा नकशा फाईनल डिक्री का जुज होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।
[illegible] सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)